निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित थाना	:	**थाना : सदर बाजार**
निरीक्षण का दिनांक	:	04–05–2016

मेरे द्वारा आज दिनांक 04–05–2016 को थाना सदर बाजार का निरीक्षण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। निरीक्षण के समय श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, श्री सलिल कुमार पटेल, उप जिलाधिकारी–पुवायां, श्री विजय शंकर दुबे, उप जिलाधिकारी–तिलहर, श्रीमती वंदना त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी–जलालाबाद, श्री विजय शंकर मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर और श्री कमलेश कान्त वर्मा, प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार, शाहजहॉपुर एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान थाना गेट पर नियमित रूप से लगने वाली पहरा ड्यूटी नहीं लगी पायी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि भविष्य में थाना गेट पर पहरा ड्यूटी प्रमुखता से तैनात की जाए तथा थाना गेट किसी भी दशा में खाली न छोड़ा जाए।

(कार्यवाही : प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर।)

1–गत निरीक्षण :–

थाना कोतवाली सदर बाजार का वार्षिक निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक(नगर) द्वारा दिनॉक–29.12.2015 और क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा दिनॉक 29.12.2015 को मानसून निरीक्षण और वार्षिक निरीक्षण दिनॉक 29.12.2015 किये गये है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किये गये है। नगर मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी सदर द्वारा थाने का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट / उप

जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले सभी थानों का विस्तृत निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। प्रभारी निरीक्षक, सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह पूर्व में किए गए सभी निरीक्षणों के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर)।

2—थाना भवनः—

थाना शासकीय भवन में संचालित है, भवन अत्यन्त पुराना एवं मरम्मत योग्य है। थाना परिसर में स्थित बैरिक 02, कोटरी 06, शौचालय 08, स्नानगृह 04, भोजनालय 01 एवं गैरिज 01 तथा इस परिसर में ही प्रभारी निरीक्षक का आवास भी उपलब्ध है। थाना भवन में रंगाई/पुताई/सफाई की आवश्यकता है। इस हेतु क्षेत्राधिकारी (पुलिस)—नगर एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह थाना भवन की मरम्मत का कार्य प्रारभ कराएं।

थाना परिसर में स्थित सिपाहियों की बैरकों का निरीक्षण किया गया । बैरकें भी अत्यन्त अव्यवस्थित एवं खराब स्थिति में पायी गई। बैकरों में पर्याप्त साफ—सफाई की आवश्यकता है। बैरक में सिपाहियों के सामान को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है।

थाना परिसर में सिपहियों एवं अन्य स्टाफ आदि के उपयोगार्थ स्थापित शौचालय अत्यन्त दयनीय एवं खराब स्थित में पाया गया। थाना परिसर में तैनात पुरुष व महिला पुलिस कर्मियों के उपयोगार्थ शौचालय की नितान्त आवश्यकता है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह थाना

सदर बाजार में एक शौचालय निर्मित कराकर जनसामान्य एवं पुलिस कर्मियों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराएं। यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराएं।

(कार्यवाही : अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर।)

वर्तमान में थाना परिसर में कार्यालय प्रभारी निरीक्षक 01, कार्यालय उप0 निरीक्षक 01, कार्यालय थाना 01 सम्पत्ति–गृह 02, बन्दीगृह–पुरूष 01, बन्दीगृह–स्त्री 01 एवं 01 रसोईघर स्थापित है। आवास पर प्रभारी निरीक्षक 01, उप निरीक्षक 01, मुख्य आरक्षी 01, आरक्षी 05, है। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर के एक कक्ष में संचालित रसोईघर का निरीक्षण किया गया। रसोईघर की स्थिति अत्यन्त खराब पायी गई। कक्ष के भवन का फर्श टूटा एवं जर्जर अवस्था में पाया गया। प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह थाना रसोई घर के भवन की अवलिम्ब मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें तथा रसोईघर के फर्श पर टायल आदि स्थापित कराएं एवं अन्य आवश्यक मरम्मत आदि सुनिश्चित करायें ताकि रसाईघर को साफ–सुथरा एवं स्वच्छ रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त थाना परिसर में सभी को स्वच्छ पेयजल हेतु एक आर0ओ0 मशीन की भी अत्यधिक आवश्यकता है। प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह थाना परिसर में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब एक आर0ओ0 मशीन लगाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह थाना में उपलब्ध सुविधाओं एवं सामग्रियों का निरीक्षण कर गैप–एनालिसिस कर आख्या प्रस्तुत करें कि वर्तमान में थाना हाजा में किन–किन चीजों की आवश्यकता है, जिसे ससमय पूर्ण कराया जा सके।

(कार्यवाही : प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर।)

3–गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट :–

वर्ष 2015 में गैंगस्टर/गुण्डा अधिनियम के तहत 31 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है जिनमें से किसी भी अपराधी को जिला बदर नही किया गया है। अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एवं गुण्डा एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4–हिस्ट्रीशीट :–

कुल 105 दुराचारियों की हिस्ट्रीशीट खुली हुई हैं जिनमें से 05 जेल में हैं एवं 19 लापता है। शेष 81 हिस्ट्रीशीटर की उपस्थिति एवं उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार को कोई जानकारी नही है। इस दिशा में हिस्ट्रीशीटर के विरूद्ध कोई संतोषजनक कार्यवाही नही की गई है। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जो हिस्ट्रीशीटर लापता है उनकी तलाश जारी रखें एवं जो हिस्ट्रीशीटर मौजूद हैं उनकी उपस्थिति एवं गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा बीट पर जाने वाले कर्मचारियों के माध्यम से उनकी निरन्तर चैकिंग कराते रहें। प्रभारी निरीक्षक समय–समय पर स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी उनकी गतिविधियों एवं उपस्थिति की जॉच कराते रहें ताकि उनकी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहें।

वर्ष 2015 में रजिस्टर नं0–08 की चेकिंग अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 02, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा 07, प्रभारी निरीक्षक द्वारा 17 और निरीक्षकगण द्वारा 19 कुल 45 चेकिंग

की गयी। निरीक्षण के दौरान थाना रजिस्टर में अंकित अशक्त व वृद्ध हो चुके 80 वर्ष की आयु से अधिक के दुराचारियों के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार से जानकारी चाही गई, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सक। प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह थाना रजिस्टर में पंजीकृत सभी 80 वर्ष से अधिक की आयु के अशक्त व वृद्ध हो चुके दुराचारियों की सूची बनाकर उनको दुराचारियों की सूची से पृथक किया जाना सुनिश्चित करें।

5–धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही :–

वर्ष 2015 में धारा–107/116 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत 225 व्यक्तियों के विरूद्ध 745 चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गयी है। इनमें से 225 व्यक्तियों के विरूद्ध 745 पायबन्द मुचलका कराया जा चुका है, जिनमें जमानत की मांग की गयी और इनमें ही जमानत दाखिल की गयी। जब्तीकरण एवं धारा 116(3) के अन्तर्गत कोई प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा नही की गयी है। यह स्थिति संतोषजनक नही है। इसके लिये प्रभारी निरीक्षक को कड़े निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–प्रभारी निरीक्षक, शाहजहाँपुर)।

6– चौकीदार :–

थाना क्षेत्रान्तर्गत चौकीदारों के 02 पद स्वीकृत है, जिनमें दोनों पदों पर चौकीदार तैनात हैं। निरीक्षण के समय दोनों चौकीदार उपस्थित रहे और जिनको नेक नियति का भत्ता प्रदान किया जा रहा है। चौकीदारों के कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह थाने में तैनात उक्त दोनों चौकीदारों को क्षेत्रकी सूचनाओं के संकलन एवं थाना क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी उपलब्ध कराने व सजग रहते हुए प्रभावी करने के निर्देश निर्गत करें।

(कार्यवाही–प्रभारी निरीक्षक, शाहजहाँपुर)।

7–तहसील दिवस/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण :–

निरीक्षण के दौरान थाना सदर बाजार में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। जिसके अन्तर्गत तहसील दिवस के अवसर पर कुल 39 शिकायती प्रार्थना–पत्र थाना सदर बाजार से सम्बन्धित प्राप्त हुए है, जिसमें से सभी का निरस्तारण कर आख्या प्रषित कर दिया गया है। इसी क्रम में समाधान दिवस के अवसर पर कुल 37 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी का निस्तारण कर दिया गय है। पुलिस अधीक्षक , शिकायत प्रकोष्ठ में कुल 884 प्रार्थना–पत्र प्राप्त होना बताया गया, जिसमे से 872 प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है तथा कुल 12 प्रकरणों में विवेचना की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय से कुल 92 प्रार्थना–पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसमें 79 प्रार्निा–पत्रों की जांच कर आख्या प्रेषित की गई है तथा 13 प्रकरणों में जांच लम्बित चल रही है। इस प्रकार थाना सदर बाजार में इस वर्ष में अब तक कुल 1274 प्रार्थना–पत्र जांच हेतु प्राप्त हुए, जिसमें से 1229 का निस्तारण किया गया तथा 45 प्रार्थना–पत्र जांच हेतु लम्बित हैं। प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह सभी प्रार्थना–पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

साथ ही थाना सदर बाजार में निरीक्षण के दौरान अधिक संख्या में दर्ज की जा रही एन0सी0आर0 के सम्बध में जानकारी प्राप्त की गई। उक्त के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक–सदर बाजार द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि एन0सी0आर0 दर्ज करने की परम्परा को समाप्त किया जाए। इस पद्धति से अपराधियों एवं कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने

वाले व्यक्तियों को पर्याप्त दण्ड दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है और अपराधी कोई भी प्रभावी कार्यवाही सम्पादित न होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराध नियंत्रण में कठिनाई आती है। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह एन0सी0आर0 की प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं ताकि अपराधियों पर नियंत्रण हो सके और कानून एवं शांति–व्यवस्था की समस्या अक्षुण रह सके।

(कार्यवाही–प्रभारी निरीक्षक, शाहजहॉपुर)।

8–सम्मन/वारन्ट/नोटिस की तामीला :–

निरीक्षण के दौरान थाना सदर बाजार में न्यायालय द्वारा निर्गत किये गये सम्मन/वारन्ट/नोटिस की तामीला के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि कि वर्ष 2015 में कुल 1334 सम्मन के सापेक्ष 1227 सम्मन तामील कराये गये, 722 वारण्ट के सापेक्ष 529 तामील कराये गये, वारण्ट कुर्की 35 प्राप्त हुये जिसमें से 15 तामील कराये गये है, वारण्ट वसूली जुर्माना 08 में से 06 तामील कराये, 542 नोटिस में से 496 तामील कराये गये, इसी प्रकार जमानती वारण्ट 270 में से 232 तामील कराये गये। वारण्ट गिरफ्तारी, वारण्ट जमानती, वारण्ट रिकवरी व वारण्ट कुर्की की तामीला की स्थिति संतोषजनक नही है। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे इस ओर व्यक्तिगत ध्यान दें तथा न्यायालयों द्वारा भेजे गये नोटिसों/सम्मनों/वारन्टों आदि की तामीला शत–प्रतिशपथ एवं जातखास पर गये नोटिसों/सम्मनों/वारण्टों आदि की तामीला शत–प्रतिशत एवं जातखास पर सुनिश्चित करायें एवं नियत तिथि से पूर्व ही सम्बन्धित न्यायालय को वापस कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–प्रभारी निरीक्षक, शाहजहॉपुर)।

महिला उत्पीड़न के मामलें :–

निरीक्षण के दौरान थाना सदर बाजार में इस वर्ष में महिला उत्तपीड़न के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 46 मामलें दर्ज हुये हैं, जिनमें सभी मामलों की तफ्तीश करायी गयी। तफ्तीश के दौरान प्राप्त साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर और 19 मामलों में चालान किया गया और 09 प्रकरणों में जांच अभिलम्बित चल रही है। प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह लम्बित चल रही समस्त 09 विवेचनाओं में सम्बन्धी विवेचकों को शीध्र अति शीध्र जांच विवेचना पूर्ण कराकर चार्जशीट दाखिल कराना सुनिश्चित करायें । निरीक्षण के दौरान महिला अपराधों की समीक्षा करने पर महिला अपहरण के 16 मामलों में से 01 प्रकरण में चालान किया गया और 14 मामलों में कार्यवाही लम्बित है। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि लापता अपराधियों की तालाश जारी रखें एवं उनके विरूद्ध प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–प्रभारी निरीक्षक, शाहजहाँपुर)।

बीट सूचना :–

निरीक्षण के दौरान थाने में बीट रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2015 में कुल 99 सूचनायें अंकित करायी गयी है। सभी 99 मामलों की जॉचोपरान्त 94 मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। प्रभारी निरीक्षक बीट रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक सूचना के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा बीट रजिस्टर में कृत कार्यवाही का अंकन किया जाए। प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार को निर्देशित किया गया कि वह सभी बीट कांस्टेवल को निर्देशित करें कि वह अपने–अपने क्षेत्रों में पूर्ण सर्तकता वरतते हुए सूचनाओं को संकलन करें तथा छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लेते हुए